न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 14 / 2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
भीकसिह पुत्र स्व0 आसकरण जाति चारण निवासी लाकडथूम तहसील लूनी जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा प्रकरण संख्या 63 / 2020 अनवान भीकसिह बनाम सरकार मे दिनांक 23–12–2020 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री हनुमान प्रजाति अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–3–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाकडथूम्ब पटवार क्षेत्र दुन्दाडा तहसील लूनी के खसरा नंबर 20 कुल रकबा 62 बीघा 10 बिस्वा भूमि मे से 11 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रार्थी के पिता आसकरण पुत्र करणीदान जाति चारण निवासी लाकडथूम्ब को विधिवत आवंटित हुई थी जिसका नामांतरकरण संख्या 102 दिनांक 14–11–1977 को स्वीकृत हुआ एवं आवटित भूमि के राजस्व रेकर्ड मे आसकरण का नाम इन्द्राज किया गया तथा जमाबंदी भी उसके पिता आसकरण के नाम बनी तब से निर्बाध रूप से आसकरण का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होता रहा तथा वे बहैसियत खातेदार काबिज रहे परंतु संवत 2053 के बाद जमाबंदी संवत 2054 से 2057 तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवशः जमाबंदी मे अपीलांट के पिता आसकरण का नाम दर्ज होने से छूट गया जिसकी दुरस्ती के लिए अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड मे हुई उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त कर प्रार्थी के पिता आसकरण पुत्र कनीराम जाति चारण दर्ज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–12–2020 के द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का यह उल्लेख करते हुए खारीज कर दिया कि प्रकरण मे नामांतरकरण संख्या 102 मूल या सत्यापित प्रति प्रस्तुत नही की और न ही नामांतरकरण मे उल्लेखित आवंटन / नियमन (मिसल नंबर 1845 / 77) की सत्यप्रति आदि प्रस्तुत की है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 23–12–2020 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व रेकर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन ही नही किया और तथ्यो से भिन्न जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने मे विधिक भूल की है जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे नामांतरकरण संख्या 102 की मूल अथवा सत्यप्रति तथा आवंटन आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत नही करने का कारण उल्लेख करते हुए अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है क्योंकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न जो दस्तावेजात पेश किये थे उनमे म्युटेशन संख्या 102 की छायाप्रति पेश की गई थी तथा उक्त म्युटेशन के कॉलम संख्या 14 मे अपीलांट के पिता आसकरण के पक्ष मे तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक 200 दिनांक 13–11–77 मिसल नंबर 1845/77 के नियमन का नोट अंकित किया हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट के पिता का ही कब्जा होना बताया गया है तो ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व वांछित मूल दस्तावेज तहसीलदार जोधपुर से तलब कर उनका अवलोकन कर सकते थे क्योकि तहसीलदार स्वयं रेस्पो0 पक्षकार थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान को पढकर सुनाया तथा कथन किया कि मेरा प्रकरण लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का ही था जिसे धारा 136 के प्रार्थना पत्र द्वारा सुधारा जा सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र कानून की मंशा के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–12–2020 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के सलंग्न उसके पिता को आवंटित भूमि का आवंटन आदेश, राजस्व रेकर्ड म्युटेशन संख्या

102 की प्रमाणित प्रति आदि पेश करना चाहिये था जिसके अभाव मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत धारा 136 का प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने से खारीज किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, तथा धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो का भी अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र का भी अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी के पिता को आवंटित भूमि का विवरण तथा आवंटन के पश्चात राजस्व रेकर्ड मे हुए इन्द्राज की पुष्टि मे नामांतरकरण संख्या 102 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसमे तहसीलदार के आदेश संख्या दिनांक, मिसल संख्या एवं आवंटन आदेश का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है तथा उक्त आवंटन के पश्चात बनी जमाबंदिया जिनमे अपीलांट के पिता का नाम इन्द्राज हुआ होने की भी छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से छूट जाने संबंधी दुरस्ती करवाने बाबत प्रार्थी द्वारा समय समय पर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट आदि जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है, का भी अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश का भी अवलोकन एवं अध्ययन करने पर यह प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं उसके सलंग्न प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर केवल यह उल्लेख करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया कि अपीलांट ने नामातरकरण संख्या 102 की मूल या सत्यापित प्रति तथा आवंटन/नियमन आदेश की प्रति प्रस्तुत नही की है ।

इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अपील के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो मे जब म्युटेशन संख्या 102 की छायाप्रति प्रस्तुत कर दी थी तथा उक्त म्युटेशन मे के अंतिक कॉलम मे तहसीलदार का आवंटन आदेश, मिसल संख्या आदि का समस्त उल्लेख किया हुआ है जिसके आधार पर उक्त म्युटेशन स्वीकृत हुआ तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लूनी जो प्रार्थना पत्र मे पक्षकार है, से म्युटेशन संख्या 102 की प्रमाणित प्रति तथा उक्त म्युटेशन मे उल्लेखित आदेश एवं मिसल संख्या आदि तलब कर पुष्टि कर सकते थे तथा उक्त म्युटेशन मे वर्णित मूल दस्तावेजो की पुष्टि करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–12–2020 निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी लूनी को अपीलांट के प्रार्थना पत्र का पुनः परीक्षण कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 30–3–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर